[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 3/2020-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सा.का.नि. (अ).–केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 5/2019- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 488(अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “10 रू. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “4 रू. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 14 मार्च, 2020 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 354/123/2014-टीआरयू (भाग-1)]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार